"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2012— पौष 30, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रताप हबलानी, निवासी - ई-35, सेक्टर-7, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम " परताब हबलानी " अंकित है तथा मेरे पैन कार्ड व मोटर चालन लाइसेन्स में मेरा नाम "प्रताप हबलानी " दर्ज हो गया है. चूंकि मुझे हिन्दी व अंग्रेजी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिये शासकीय एवं अशासकीय दस्तोवजों में मेरा भिन्न-भिन्न नाम दर्ज हो गया है, जिससे मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस कारण मैं अपने पूर्व नाम "परताब हबलानी " को पूर्णत: त्याग कर अब मैं अपना नया नाम " प्रताप हबलानी " रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब स मुझे प्रताप हबलानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
परताब हबलानी निवासी-ई-35, सेक्टर-7 न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)	प्रताप हबलानी निवासी-ई-35, सेक्टर-7 न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भीष्म किंगर आत्मज स्व. तुलसीदास किंगर, व्यवसाय-अधिवक्ता, आयु 67 वर्ष, निवासी - ए-25, सूर्या अपार्टमेन्ट्स, कटोरा तालाब रोड, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा जन्म 31-12-1945 को ग्राम दड़ी तह. कंधकोट जिला जेकबाबाद सिन्ध-भारत (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था, मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम "भीष्म कुमार किंगरानी" और "भीष्म लाल किंगरानी" अंकित हो गया को सुधार कर मैं अपना नया नाम "भीष्म किंगर" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे भीष्म किंगर पिता स्व. तुलसीदास किंगर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
भीष्म कुमार किंगरानी, भीष्म लाल किंगरानी आत्मज स्व. तुलसीदास किंगर निवासी-ए- 25, सूर्या अपार्टमेन्ट्स कटोरा तालाब रोड, रायपुर (छ. ग.)	भीष्म किंगर आत्मज स्व. तुलसीदास किंगर निवासी-ए- 25, सूर्या अपार्टमेन्ट्स कटोरा तालाब रोड, रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, उदन्ती वनमण्डल, गरियाबंद, जिला-रायपुर (छ. ग.)

गरियाबंद, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्रमांक 265/मा. चि. /2757.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति का पासिंग हेमर तत्कालीन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव स्व. श्री मार्क ताण्डी को हेमर क्रमांक 93 NR, 143 NR जारी किया गया था जो उनकी मृत्यु के पश्चात् गुम हो गया है. जिसकी सूचना पुलिस थाना देवभोग में दर्ज करा दी गई है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा - 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त पासिंग हेमर भण्डार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 75/- प्रति हेमर की दर से 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) स्व. श्री मार्क ताण्डी के पेंशन से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हेमर का उपयोग करते हुये पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 63 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा.

राजू अगसिमनी,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/711.— कोयलांचल ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., ढेलवाडीह बंकीमोंगरा, पंजीयन क्रमांक 91 दिनांक 13-11-06 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक.................. दिनांक .... द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, कोयलांचल ईंधनपूर्ति सहकारी समिति मर्या., ढेलवाडीह (बंकीमोंगरा) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश, सह. वि. अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. पं. ज/परिसमापन/2011/793.— इस कार्यालय के आदेश क्र. /506 दिनांक 25-08-2011 के द्वारा वन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक /डी. आर./बी. टी. आर. /30 दिनांक 15-10-1982 है , को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक , सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्दह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
प्र. उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.